न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 41/2023

(GCMS 2023/162, RTI No. 212935467759011)

सोमदत्त पुत्र रामेश्वर लाल निवासी 10 डीओएल, पोओ 13 डीओएल, तहसील रावला, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सोमदत्त स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.06.2023 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध थी, फिर भी लोक सूचना अधकारी ने उसे सूचना उपलब्ध न करवाकर, विभागीय वेबसाईट ceorajasthan.nic.in पर उपलब्ध होने का हवाला दे रहे है, जहां वह सूचना उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से उक्त सूचना उपलब्ध करवाये जाने के लिए यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सोमदत्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.06.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. श्रीगंगानगर जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में समस्त बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की सूची विधानसभा क्षेत्रवार मय बूथ लेवल अधिकारी का नाम, बूथ लेवल अधिकारी का पद, बूथ लेवल अधिकारी का पदस्थापन स्थान, भाग संख्या आदि अंकित हो उपलब्ध करवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. श्रीगंगानगर जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त समस्त सुपरवाईजर की सूची विधानसभा क्षेत्रवार मय सुपरवाईजर का नाम, सुपरवाईजर का पद, सुपरवाईजर का पदस्थापन स्थान, भाग संख्या आदि अंकित हो, उपलब्ध कराई जावे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(03)(03) RTI/2023/1502 दिनांक 02.04.2023 से समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) को लिखते हुए प्रति इस न्यायालय को भिजवाई है, जिसमें उनके द्वारा निम्नानुसार लिखा गया है:

उक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र (संलग्न) के संदर्भ में लेख है कि श्री सोमदत्त पुत्र श्री रामेश्वरलाल निवासी 10 डीओएल पो.ओ. 13 डीओएल तहसील रावला, श्रीगंगानगर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत श्रीगंगानगर जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त बीएलओ और सुपरवाईजर की सूची चाही गई थी, जिसके संबध में उन्हें सूचित किया गया था कि वे उक्त सूची विभागीय वेबसाईट ceorajasthan.nic.in से प्राप्त कर सकते है चूंकि वर्तमान में विभाग द्वारा वेबसाईट से बीएलओ/सुपरवाईजर की सूची का लिंक हटा दिया गया है। अतः आप आज ही बीएलओ तथा सुपरवाईजर की सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी इस कार्यालय की ईमेल आईडी deosgnr@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाई जा सके तथा वस्तुस्थिति से श्रीमान् प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को कार्यवाही से अवगत करवाया जा सके।

संलग्न : उक्तानुसार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:40 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
जिला निर्वाचन अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उप जिल निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उक्त पत्रांक 1502 दिनांक 02.04.2023 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, जिसमें उसने अंकित किया है कि अपीलार्थी वांछित सूचना ceorajasthan.nic.in से प्राप्त कर सकते है, किन्तु वेबसाईट से बीएलओ/सुपरवाईजर की सूची का लिंक हटा दिया गया है। इसलिए उनके द्वारा उक्त सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाने हेतु समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) से सूचना चाही गई थी और वस्तुस्थिति से इस न्यायालय को अगवत करवाने हेतु लिखा गया था, किन्तु आदिनांक तक इस न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत नहीं करवाया गया है। जिससे यह ज्ञात नहीं होता है कि आवेदक के प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2023 द्वारा चाही गई सूचनाएं उपलब्ध करवाई है अथवा नहीं? जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> **<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नहीं?, से अवगत नहीं करवाया है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 7 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:40 IST
Reason: SelfAttested